



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- उमा भित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 89/2025

सुभाष पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

ब नाम

1. पूर्णराम पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. श्रवण पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. चन्द्रभान पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सरोज पुत्री पूर्णराम पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53-88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता**

**तकसीम**

**डिक्री**

दिनांक :- 06/11/2025

वादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा भित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है कि - निम्नानुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

क.वादी को प्राप्त कृषि भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू-ए के खाता सं. 45/30 के प.नं. 50/2/043 (17)

किला नं. 4/2/.042 (किला नं. 5 के चिपती), 7/.084 (किला नं. 10 के चिपती), 14/.085

सहायक कलक्टर एव

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(किला नं. 15 के चिपती), 17/.084 (किला नं. 16 के चिपती), 24/3/.067 (किला नं. 25 के चिपती), 24/4/.008 की कुल 0.370 हैक. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।



ख. प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त कृषि भूमि—

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू-ए के खाता सं. 45/30 के प.नं. 50/343 (17) किला नं. 4/2/.043 (सुमाष व चन्द्रमान के मध्य), 71.084 (सुमाष व चन्द्रमान के मध्य), 14/084 (सुमाष व चन्द्रमान के मध्य), 17/.085 (सुमाष व चन्द्रमान के मध्य), 24/3/.068 (सुमाष व चन्द्रमान के मध्य), 24/4/.009 की कुल 0.373 हैक. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 3 को प्राप्त कृषि भूमि—

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू-ए के खाता सं. 45/30 के प.नं. 50/343 (17) किला नं. 4/2/.042 (किला नं. 3 के चिपती), 7/.085 (किला नं. 8 के चिपती), 14/.084 (किला नं. 13 के चिपती), 17/.084 (किला नं. 18 के चिपती), 24/3/.067 (किला नं. 23 के चिपती), 24/4/.008 की कुल 0.370 हैक. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घरघर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( 3 )  
( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलेक्टर एव  
पदेन सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा